Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to make public the details of Socio-Economic Caste Census, 2011.

श्री गणेश सिंह (सतना) ः वऐाऩ 2011 में केद्र सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना एस.ई.सी.सी. से करायी थी और इसके समग्र समन्वयन का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपा था। ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में बी.पी.एल. जनगणना का विऐाय गरीबों की पहचान कर उन्हें आवासीय सुविधा देना था। जाति और जनजाति की गणना भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय से जो करायी गयी थी जिसका ब्यौरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया था और उन्हें कहा गया था कि जाति/जनजाति ब्यौरे को वर्गीकृत कर इसे सार्वजनिक किया जाये, लेकिन यह कार्य अभी तक नहीं हुआ, देश में पहली बार गणना वऐाऩ 1931 में हुई थी। वऐाऩ 1941 में विश्व युद्ध के कारण नहीं हो सकी। मण्डल आयोग ने जाति जनगणना कराने की सिफारिश की थी। वऐाऩ 2011 में जनगणना करायी गयी थी तब तत्कालीन सरकार से सदन में सभी सदस्यों ने सहमति दी थी और सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि जाति आधारित जनगणना करायी जायेगी और मेरे प्रश्न क्रमांक 1039 के उत्तर में दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि एस.ई.सी.सी. ने जाति आधारित जनगणना के ब्यौरे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिये गये हैं। अतः जाति आधारित जनगणना को तत्काल सार्वजनिक किया जाये ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाया जा सके।